"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर 2016— कार्तिक 25, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 (कार्तिक 25, 1938)

क्रमांक-11902/वि. स./विधान/2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 27 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2016

वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.-4) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए राज्य की संचित निधि में से 28,00,69,99,900 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2016 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार आठ सौ करोड़ उनहत्तर लाख निन्यानबे हजार नौ सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	30,00,000	0	30,00,000
03	पुलिस	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	20,00,000	0	20,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	70,00,000	0	70,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	8,00,00,000	0	8,00,00,000
10	वन	राजस्व	0	19,75,000	19,75,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,50,000	0	5,50,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,45,00,00,000	0	1,45,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	16,52,00,100	0	16,52,00,100
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,00,100	0	20,00,100
		पूंजी	100	0	100
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	100	0	100
16	मछलीपालन	राजस्व	13,22,100	0	13,22,100
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	25,00,000	0	25,00,000
		पूंजी	200	0	200
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	100	0	100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	28,00,00,000	0	28,00,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	1,88,20,80,000	0	1,88,20,80,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	100	0	100
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,63,40,24,000	0	5,63,40,24,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	15,15,00,000	0	15,15,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,44,87,100	0	3,44,87,100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	6,48,51,85,300	0	6,48,51,85,300
		पूंजी	59,96,76,100	0	59,96,76,100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	300	0	300
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	200	0	200
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	7,00,00,000	0	7,00,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	200	0	200
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	20,00,000	0	20,00,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग.	राजस्व	40,00,00,100	0	40,00,00,100
		पूंजी	100	0	100
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	25,00,000	0	25,00,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,94,77,000	0	2,94,77,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	7,32,00,200	0	7,32,00,200
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	100	0	100
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	3,09,86,61,000	0	3,09,86,61,000
		पूंजी	300	0	300
65	विमानन विभाग	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण.	राजस्व	13,18,35,000	0	13,18,35,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	9,48,11,400	0	9,48,11,400
71	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.	राजस्व	100	0	100
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	200	0	200
		पूंजी	40,00,00,000	0	40,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,35,95,00,100	0	2,35,95,00,100
81	नगरीय निकायों की वित्तीय सहायता	राजस्व	51,58,23,000	0	51,58,23,000
		पूंजी	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,81,20,90,100	0	2,81,20,90,100
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	5,26,00,000	0	5,26,00,000
	योग -	राजस्व	**25,63,05,36,100**	**19,75,000**	**25,63,25,11,100**
		पूंजी	**2,37,44,88,800**	**0**	**2,37,44,88,800**
	वृहद योग		**28,00,50,24,900**	**19,75,000**	**28,00,69,99,900**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 15 नवम्बर, 2016

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.